न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3584/2005/बीकानेर

धन्ने सिंह पुत्र श्री मधसिंह जाति राजपूत निवासी करनीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर —वादी/अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार

—— प्रतिवादी/रैस्पोडेंट

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः—

श्री राजेश गौतम अपीलांट की ओर से
श्री शिव प्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक रैस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः 03—01—2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20—1—2005 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम मुख्यालय बीकानेर के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद बावत घोषणा खातेदारी, रिकार्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध राजस्थान सरकार के इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम करनीसर का वासिन्दा है एवं विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 65/104 में से 30 बीघा भूमि अवस्थित ग्राम भींयावाला वादी को आवंटन की गयी थी जिसका पट्टा संख्या 1389 दिनांक 20—10—71 को वादी के नाम जारी किया गया था तब से ही वादी आवटन सुदा भूमि पर गैर खातेदार के रुप में काबिज है एवं राजस्व रिकार्ड में भी इस प्रकार का अंकन है। चकबंदी में विवादित आराजी चक नम्बर 12—13 के बीएसडी के मु.नं.67/06 किला नंबर 1 ता 10,13 ता18 व 24,25 रकबा 18बीघा, मु.नं. 7/53 किला नम्बर 3 ता 9 रकबा 7बीघा वमु.नं.7/60 किला किला नंबर 21 ता 25 रकबा 5 बीघा कुल 30बीघा मुरब्बों में कन्वर्ट हुई। वादी विवादित आराजी पर निरन्तर शांति पूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन विवादित आराजी को तहसीलदार द्वारा समय समय पर पटटा नवीनीकरण किया गया। लेकिन आगे चल कर राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अपीलाट के खातेदारी व गैर खातेदारी में दर्ज

नही की जाकर आराजी रकबा राज दर्ज कर दी गयी, जो गलत है। दावे के अन्त में विवादित आराजी को वादी ने अपनी खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। दावा व जबावदावा के आधार पर प्रकरण में कुल 4 तनकियात कायम की गयी। तदोपरान्त विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2004 के द्वारा वादी / अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । जिसके विरुद्ध अपीलांट की ओर से अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–1–2005 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2004 की पुष्टि की गयी है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– अपील पर दोनो पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादके पिथ एवं सबसटेंश एवं उसके द्वारा कहे गये कथनों परविचार किये बिना ही वादी / अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के द्वारा किसी भी बिन्दु पर अपना निर्णय पारित किये बिना ही अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। उनका आगे तर्क है कि प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा व जबावदावा के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की गई है किन्तु वाद को निर्णय किये जाने के लिए जो आवश्यक तनकीयात कायम की जानी थी वह कायम नही की गयी , जिससे वादी अपीलांट के वाद का सही रुप से एडजूडिकेशन नही हो सका। दोनो अधिनस्थ न्यायालयो ने उक्त तनकियों पर कोई तथ्यात्मक विवेचन नही किया गया है, और सभी तनकियों को प्रतिवादी के पक्ष में ही निर्णित किया गया है जो उचित व कानून सम्मत नही है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वाद वादी / अपीलांट विरुद्ध रेस्पोडेंट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5– इसके विपरीत अभिभाषक रैस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट जिस भूमि पर अपना कब्जा काश्त बता रहे है वह वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 65 / 104 का भाग नही है। राजकीय आराजी पर अपीलांट द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–6–04 पत्रावली पर

उपलब्ध साक्ष्य वसबूत के आधार पर ही प्रकरण में तनकियात कायम कर व उन पर विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–1–05 के द्वारा विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–04 की पुष्टि कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अन्त में अपील खारिज कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– हमने दोनो उभयपक्षों विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भलीभॉति अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम भीयावाला के खसरा नंबर 15,16,18 की 198 बीघा 3 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन तालाब अंकित है और आंशिक सूची नम्बर 4 के अनुसार खसरा नम्बर 15,16,18 व 53 से बनी है जो अपीलांट को कभी आवंटित नही हुई है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो गवाह के बयान करवाये है उसमें भी विवादित आराजी को आंवटित होना नही बताया गया है। इसके अलावा अपीलांट की ओर से ऐसा कोई नया तथ्य पेश नही किया गया है।दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व राजस्व रिकार्ड के आधार पर है जिनमें हम किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही पाते है । दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती होने से इनमे हम हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील खारिज की जाती है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–6–2004 एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–1–2005 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**मनोज कुमार नाग**) (**मोहन लाल नेहरा**)

सदस्य **सदस्य**